

भारत के राजपत्र में भाग-3, खंड-4 में प्रकाशन हेतु

आदेश

वि.सं. फं-3/पीबी-7/ई.टी.टी./2000/9906-13

दिनांक : 22.08.2000

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (रा.अ.शिक्षा) अधिनियम 1993 की धारा 14(3) (ए) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर, खासपुर, हिरान, होशियारपुर (पंजाब) जो 2 वर्ष का ई.टी.टी. प्रबंध करने हेतु अकादमिक सत्र 2000-2001 में प्रतिवर्ष 100 (एक सौ) विद्यार्थियों के लिये निम्नलिखित सर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान करती है :

1. ऐसे सभी अध्यापक जो संस्था में पूर्ण से नियुक्त हैं तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों की पूर्ति नहीं करते हैं वे वह आदेश जारी होने के दो वर्ष के भीतर मानदंडों के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्जित करेंगे।
2. संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ तथा अन्य शैक्षिक ढाँचे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुरूप हों।
3. अनुसंधान पाठ्यक्रम में केवल ऊर्ध्व ज्ञानदत्तों को प्रवेश दिये जाएगा जो विषयों में पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हों और जो संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि से चयनित हों।
4. जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शुल्क संबंधी विषय प्रभावों नहीं होते तब तक छात्रों से शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधियों के अनुरूप लिये जाएँगे।
5. पाठ्यक्रम सबसे पाठ्यक्रमों द्वारा कक्षाएं, मध्य प्रायोगिक कार्य/प्रतिविधियों सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों और मानदंडों के अनुसार होना चाहिए तथा संबंधित विश्वविद्यालय/परीक्षा नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप ही आयोजित होने चाहिए।
6. पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण दिवसों मध्य अभ्यास शिक्षण दिवस के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों में निर्धारित दिवसों की संख्या से कम नहीं होगी।
7. संस्था यदि गैरअनुमोदित है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार अध्यापक विधि और सुरक्षित विधि बनाए रखेगी।